कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0(0135) – 2713551

संख्या–3068 XXV– 12(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 24 मई,2024

पंजीकृत

सेवा में,

श्री राहुल गुथलियां,
ग्राम पो0 –भल्ले गांव
पुत्र श्री सिताब सिंह
लाल बहादूर शास्त्री मार्ग
गली नं0–3 माजरा
देहरादून उत्तराखण्ड।
मो0नं0–9917385655

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक रहित के माध्यम से एक नया रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित के सम्बन्ध में वांछित बिन्दुओं पर सूचनाएं प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। अवगत कराना है कि सन्दर्भित बिन्दुओं पर सूचनायें इस कार्यालय में धारित न होने से उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के सम्पादनार्थ आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग की मार्ग निर्देशन पुस्तिका मुख्य निर्वाचन अधिकारी की विभागीय वेबसाइड (https://ceo.uk.gov.in/pages/view/304-Lok-sabha-General-Election-2024) पर उपलब्ध है।

भवदीय,

Signed by Basant Singh Rawat
Date: 21-05-2024 17:36:14

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0–9411740189

प्राप्त – 13/5/24

पत्रवाहक / पंजीकृत

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या– 214 /रा0नि0आ0 / आर0टी0आई0 / 4210 / 2024 दिनांक 13 मई, 2024

"सूचना के अनूरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण"

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिाकरी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री राहुल गुथलियां, पुत्र श्री सिताब सिंह, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, गली नं0–3 माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित अनुरोध–पत्र दिनांकरहित राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 13.05.2024 को प्राप्त हुआ है। तथा अनुरोधकर्ता द्वारा नियमानुसार आवेदन शुल्क रू0 10.00 का भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

चूँकि उपरोक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी बिन्दु संख्या––01 से 06 तक की सभी सूचनाएं आपके विभाग से संबंधित हैं, अतएव् सन्दर्भित अनुरोध पत्र की मूलप्रति आपको इस आशय से अंतरित की जा रही है कि अनुरोध–पत्र में वांछित सूचनाएं नियमानुसार अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त /
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7302254903

संख्या– 214 /रा0नि0आ0 / सू0का0अ0 / 4210 / 2024

प्रतिलिपिः– श्री राहुल गुथलियां, पुत्र श्री सिताब सिंह, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, गली नं0–3 माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड 248171 मो0नं0 9917385655 को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त /
लोक सूचना अधिकारी।

R. 1158/2024
F. 4210/2024

229
13/5/24

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड
निर्वाचन भवन" ग्राम लाडपुर, मसूरी बाईपास (रिंग रोड़), देहरादून।

आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार प्रत्येक निम्न बिंदु पर बिन्दुवार सूचनाएं प्रदान करें।

में राहुल गुथलियां मुझे सभी बिंदु पर अलग अलग सूचनाएं प्रदान करने का कष्ट करें।

मेरा एक नया रिटेल आउटलेट (पेट्रोलपंप) स्थापित हो चुका है और मेरे द्वारा सभी NOC प्राप्त कर लिया गया है और मुझे DSO से डीजल **बिक्री हेतु डीज़ल लाइसेंस** की आवश्यकता हैं मेरे द्वारा DSO के यहां डीजल लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया जिसकी रिपोर्ट खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के द्वारा DSO को भेज दी गई थी, **DSO से वह फाइल DM जी को भेज दी गई थी जहा से आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही DM के यहां से फाइल पास होकर फिर DSO आ गई और मेरे द्वारा डीजल लाइसेंस हेतु 10 हजार रूपए राशि का चालान भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया** में जमा करा दिया गया है और **पोसस्ट ऑफिस से एन एस सी बनवाकर DSO के यहां** जमा करा दी गई है केवल डीजल लाइसेंस सर्टिफिकेट जारी करना रहे गया है। अब मुझे कुछ बिंदू पर सूचनाएं देने का कष्ट करें

1. यदि फाइल आचार संहिता लागू होने से पूर्व से ही चल रही हो तो नये रिटेल आउटलेट पर डीजल बिक्री हेतु जो डीजल लाइसेंस की आवश्यकता हैं क्या इस फाइल पर आचार संहिता लागू होने से प्रभाव पड़ेगा या इसका काम चलता रहेगा

2. रिटेल आउटलेट पर डीजल बिक्री हेतु डीजल लाइसेंस मिलने में आचार संहिता से कोई प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं

3. रिटेल आउटलेट पर डीजल बिक्री हेतु जो डीजल लाइसेंस की, फाइल आचार संहिता लागू होने से पूर्व चल रही है उस पर आचार संहिता लागू होने पर वह फाइल बंद हो जाती हैं अथवा उसका काम चलता रहता हैं

4. अब उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका क्या अब रिटेल आउटलेट के लिए डीजल बिक्री हेतु डीजल लाइसेंस मिल सकता है अथवा नहीं

5. जो फाइल आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही चल रही हो क्या वह आचार संहिता लागू होने पर बंद हो जाती हैं।

6. क्या वर्तमान में मुझे आचार संहिता खतम होने से पहले पैट्रोल पंप हेतु डीज़ल लाइसेंस जारी किया जा सकता है

निम्न सूचनाएं प्राप्त करने हेतु आज दिनाक 11-05-2024 को 10 रु मूल्य के पोस्टल ऑर्डर संख्या 64F 234119 संलग्न कर रहा हूं अतः **निम्न प्रत्येक एक एक बिंदु पर सूचनाएं सत्यापित प्रति लिपि में** मेरे द्वारा नीचे दिए गए निम्न पते पर भेजने का कष्ट करें।

श्री बडोनी

13.05.2024
(राज कुमार बर्मा)
सहायक आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

Received I.P.O. of Rs 10/-
13/5/24

Rahul

राहुल गुथलियां पुत्र सिताब सिंह
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग गली न 3 माजरा
देहरादून उत्तराखंड 248171
मो न० 9917385655